क्रमांक-2

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 29 जुलाई, 2025 (श्रावण 7, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री बाला बच्चन सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आसंदी का ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन किया कि आज मुख्यमंत्री जी का टर्न है जवाब देने का और विधायकों के 16 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें जानकारी एकत्रित की जा रही है, लिखा है. मेरे खुद के भी 2 प्रश्न ऐसे हैं. विधायक इस फोरम पर अगर प्रश्नों का जवाब नहीं ले सकते हैं तो कहां से लेंगे. विभाग और दूसरे मंत्री जवाब नहीं देते वहां तक तो ठीक है लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के 16 प्रश्नों के जवाब में लिखा है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है. मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता के लिये और हम सबके लिये बड़े दुर्भाग्य का विषय है. इसलिए आप इसमें व्यवस्था दें.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि - बाला बच्चन जी ने जो बात कही है वह निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में है. मैने भी देखा है इससे पहले भी इस मामले में निर्देश दिये गये हैं और आज भी कुछ प्रश्न में लिखा है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है. कुछ प्रश्नों की जानकारी आ गई है जो सदस्यों तक अभी पहुंची होगी, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुये है, जानकारी एकत्रित की जा रही है, ऐसे उत्तर के बजाय सीधा उत्तर ही आना चाहिये.

2. विशेष उल्लेख

श्री कैलाश विजयवर्गीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को जानकारी देते हुये कहा कि पहलगाम में जो 3 आतंकवादियों ने घटना की थी उन तीनों आतंकवादियों को हमारी बहादुर सेना ने खत्म कर दिया है इसीलिये मैं चाहता हूं कि सदन हमारी वीर सेना को धन्यवाद दे. इस पर श्री उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से यह अनुरोध किया कि यह धन्यवाद पूरे सदन की ओर से होना चाहिये.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिन आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है उन्हें सदन की ओर से सर्वसम्मति से बधाई दी जाये.

3. बधाई

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि हमारे देश की बेटी दिव्या देशमुख ने जार्जिया के बटूमी में आयोजित फेडरेशन आफ वुमेंस इंटरनेशनल शतरंज वर्ल्डकप 2025 का प्रतिष्ठित खिताब जीता है. यह पहली बार है जब किसी भारतीय महिला ने यह प्रतिष्ठित विश्व कप जीता है. इस जीत से हमारा देश गौरवान्वित हुआ है. सदन की ओर से दिव्या देशमुख के शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं.

आज का प्रश्नकाल हमारे नये सदस्यों और महिला सदस्यों को समर्पित है.

4. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,3,4,5, 8,10, 11, 12, 13 एवं 14) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 115 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 126 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

5. स्वागत उल्लेख

प्रश्नकाल के दौरान श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्यमंत्री ने पाइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आसंदी को अवगत कराया कि- हमारी भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार सदन में आए हैं. मैं चाहता हूं कि सदन उनका स्वागत करे.

इस पर श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री भंवर सिंह शेखावत, सदस्य द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई तदुपरान्त माननीय अध्यक्ष द्वारा पूरे सदन की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल, सदस्य को बधाई दी गई.

श्री हेमंत खंडेलवाल, सदस्य द्वारा आसंदी सहित सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

6. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1)	इंजी.प्रदीप लारिया, सदस्य ने नरयावली टप्पा को तहसील का दर्जा प्रदान किया जाना।
(2)	श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने निवाड़ी एवं टीकमगढ जिलों में अत्यधिक वर्षा से खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा न दिया जाना।
(3)	श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य ने सेवा निवृत्त शिक्षकों के अर्जित अवकाश प्रकरणों का कार्योत्तर स्वीकृति उपरांत भी भुगतान न हो पाना।
(4)	डॉ.सीतासरन शर्मा, सदस्य ने नर्मदापुरम् जिले में अमृत योजना-2 के कामों के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती जाना।
(5)	श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य ने सिवनी जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सिंचाई सुविधा हेतु जलाशयों का निर्माण कराया जाना।
(6)	श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ नगर के क्षतिग्रस्त बड़े पुल की पिचिंग धराशायी होने से बड़ा हादसा होने की संभावना।
(7)	श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले की जनपद पंचायत सिरमौर के ग्राम करमई में काली दाई मंदिर से पंजाबी सिंह के घर तक 01 किमी रोड़ का निर्माण कराया जाना।
	संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

7. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय सदस्य के पुत्र की कार खम्भे से टकराने पर बी.एन.एस. के अंतर्गत हत्या की धारा लगाए जाने संबंधी.

श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य ने उल्लेख किया कि अलीराजपुर जिले के जोबट विधान सभा क्षेत्र में उनका पुत्र अपने दोस्तों को छोड़ने दूसरी कॉलोनी में जा रहा था. वही बीच में एक चौराहे पर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी, जो पेट्रोलिंग कर रही थी, बीच में गाड़ी खड़ी होने के कारण वह दूसरे रास्ते से गाड़ी निकालने पर खम्भे से टकरा गई, तब पुत्र ने गाड़ी रोककर एसडीओपी साहब से पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एसडीओपी साहब ने कहा कि पुष्पराज कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर जाइये, यह भी पूछा कि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मैं अस्पताल भी लेकर चलता हूँ. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. घटना के 10 घण्टे बाद दूसरे दिन मेरे बेटे के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और हत्या जैसी धारा लगाई जाती है. 307 एवं 109 बीएनएस धारा के अंतर्गत हत्या की धारा लगाई जाती है.

इस पर श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्यमंत्री एवं श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार, श्री अभय जी और श्रीमती सेना महेश पटेल जी ने जो बात रखी है वह विषय कल माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया जा चुका है. उनके द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया है. अब उसके बाद और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है.

8. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी

श्री अभय मिश्रा, श्री सचिन सुभाष चन्द्र यादव एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई सदस्यगण शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में में आए एवं नारेबाजी करने लगे.

9. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर)** द्वारा, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) एफ ए 3-13-2017-1-पांच (01), दिनांक 20 फरवरी, 2025,

(ख) एफ ए 3-72-2017/1/पांच (02), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
(ग) एफ ए 3-11/2018/1/पांच (03), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
(घ) एफ ए 3-33/2017/1/पांच (04), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
(ङ) एफ-ए-3-35/2017/1/पांच (05), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
(च) एफ ए 3-32/2017/1/पांच (06), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
(छ) एफ ए 3-42/2017/1/पांच (07), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
(ज) एफ ए 3-47/2017/1/पांच (08), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
(झ) एफ ए 3-43/2017/1/पांच (09), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
(ञ) F.No 3-3-4-0006-2025-Sec-1-पांच (CT) (10), दिनांक 18 मार्च, 2025,
(ट) CT-8-0001-2025-Sec-1-पांच (CT) (11), दिनांक 18 मार्च, 2025,
(ठ) F.No 3-3-4-0004-2025-Sec-1-पांच (CT) (12), दिनांक 18 मार्च, 2025,
(ड) एफ ए 3-02-2017-1-पांच (13), दिनांक 20 मार्च, 2025,
(ढ) CT/8/0005/2025-Sec-1-05 (CT) (14), दिनांक 21 मार्च, 2025,
(ण) CT/8/0002/2025-Sec-1-05 (CT) (15), दिनांक 21 मार्च, 2025,
(त) CT/8/0004/2025-Sec-1-05 (CT) (16), दिनांक 21 मार्च, 2025,
(थ) CT-8-0007-2024-Sec-1-पांच (CT) (17), दिनांक 28 मार्च, 2025,
(द) CT-4-2-0001-2023-Sec-1-पांच (CT) (18), दिनांक 28 अगस्त, 2025,
(ध) CT/8/0007/2025-Sec-1-05 (CT) (19), दिनांक 21 अप्रैल, 2025, एवं
(न) CT/8/0006/2025-Sec-1-05 (CT) (20), दिनांक 21 अप्रैल, 2025 पटल पर रखी गईं.

(2) **श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा)** द्वारा, मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 46 सन् 1973) की धारा 33 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-
(क) क्रमांक एफ-3-3-4-001-1-सत्रह (PHE) भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024, एवं
(ख) एफ 3-3-4-0001-2025-1-सत्रह- भोपाल, दिनांक 23 जनवरी, 2025 (संशोधन) पटल पर रखी गईं.

10. बहिर्गमन

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा उनकी बात न सुने जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

11. पत्रों का पटल पर रखा जाना (क्रमश:)

(3) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री** द्वारा द रियल स्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डेव्हलपमेंट) एक्ट, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) के तहत बनाये गये भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नियम, 2017 की कंडिका 38 की अपेक्षानुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष हेतु मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखा गया.

(4) **सुश्री निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री** द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम, 2007 की कंडिका 20 की उप कंडिका (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखा गया.

(5) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री** द्वारा
(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –
(i) बाणसागर थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24, एवं
(ii) शहपुरा थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24, तथा
(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-
(i) क्रमांक 423/मप्रविनिआ/2025 भोपाल, दिनांक 04 मार्च, 2025,
(ii) क्रमांक 424/मप्रविनिआ/2025 भोपाल, दिनांक 04 मार्च, 2025,
(iii) क्रमांक 570/मप्रविनिआ/2025 भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2025, एवं
(iv) क्रमांक 571/मप्रविनिआ/2025 भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2025 पटल पर रखी गईं.

(6) **श्री राकेश शुक्ला, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री** द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखा गया.

(7) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री** द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखे गये.

(8) **श्री चेतन्य कुमार काश्यप, मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम** द्वारा
(क) खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला इंदौर, धार, मंदसौर, ग्वालियर एवं पन्ना के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 तथा जिला सिंगरौली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24, एवं
(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2023-24 पटल पर रखे गए.

12. फरवरी, 2024 से मार्च, 2025 सत्र तक के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-4 पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी, 2024 से मार्च, 2025 सत्र तक के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-4 पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

13. नियम 267-क के अधीन मार्च, 2025 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन मार्च, 2025 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

14. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे.

क्र	राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम
1.	मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025)	अधिनियम क्रमांक-10 सन् 2025
2.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025)	अधिनियम क्रमांक-11 सन् 2025
3.	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025)	अधिनियम क्रमांक-12 सन् 2025
4.	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025)	अधिनियम क्रमांक-13 सन् 2025

15. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 28 जुलाई, 2025 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिशें की गई हैं :-

क्रमांक	विषय	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025)	1 घण्टा

2.	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025)	30 मिनिट
3.	भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025)	30 मिनिट
4.	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025)	30 मिनिट
5.	रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025)	1 घण्टा
6.	भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025)	30 मिनिट
7.	मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक, 2025	2 घण्टा
8.	वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण पर चर्चा.	2 घण्टा
9.	प्रदेश में लगातार कम होते भू-जल स्तर एवं परम्परागत जल संग्रहण संरचनाओं के सतत् समाप्त होने एवं प्रदेश में औद्योगिकीकरण एवं निवेश के लिए समयानुसार किये जा रहे प्रयासो के संबंध में प्राप्त नियम-139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की सूचनाओं पर चर्चा.	उपलब्ध समयनुसार
10.	शेष अन्य सूचनाओं के लिए यथासमय निर्णय लिए जाने हेतु मान. अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया.	

16. अध्यक्षीय घोषणा

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधान सभा के अध्यक्ष के जन्मदिन के अवसर पर विधान सभा परिसर में उनका चित्र लगाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने संबंधी.

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय लिया गया था कि हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधान सभा के अध्यक्ष जो अब सबके मध्य नहीं हैं, उनका जन्मदिन जब-जब आये तो विधान सभा परिसर में उनका चित्र लगाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किये जायें. यह परंपरा आगे से प्रारंभ की जायेगी.

17. वक्तव्य

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने मंत्रिपरिषद् में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, विधि एवं विधायी कार्य, श्रम एवं परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न विधेयकों पर लिये गये निर्णय से सदन को अवगत कराने के संबंध में वक्तव्य दिया.

18. ध्यानाकर्षण

(1) **श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य ने** प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस की वसूली किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) **इंजीनियर प्रदीप लारिया, सदस्य ने** शासन द्वारा वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन की राशि में बढ़ौत्री न किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री नारायण सिंह कुशवाह, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष ने भी चर्चा में भाग लिया.

19. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति** ने याचिका एवं अभ्यावेदन समिति का याचिकाओं से संबंधित तृतीय, चतुर्थ, पंचम् षष्टम्, सप्तम् एवं अष्टम् तथा अभ्यावेदनों से संबंधित सैंतीसवां, अड़तीसवां, उनचालीसवां, चालीसवां एवं इकतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) **श्री हरिशंकर खटीक, सभापति** ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का दशम्, एकादश, द्वादश, त्रयोदश एवं चतुर्दश प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) **श्री दिलीप सिंह परिहार, सभापति** ने कृषि विकास समिति का पंचम् कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

20. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में पदक्रम 8 पर जिन याचिकाओं का उल्लेख किया गया है उनको प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा तद्नुसार निम्नांकित याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

(1) **श्री पंकज उपाध्याय (जिला-**मुरैना)
(2) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-**भिण्ड)
(3) **डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-**ग्वालियर)
(4) **श्री फूलसिंह बरैया (जिला-**दतिया)
(5) **श्री राजेन्द्र भारती (जिला-**दतिया)
(6) **श्री बृज बिहारी पटैरिया (जिला-**रायसेन)
(7) **श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-**टीकमगढ़)
(8) **श्री हरिशंकर खटीक (जिला-**रायसेन)
(9) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-**टीकमगढ़)
(10) **श्री अरविन्द पटैरिया (जिला-**छतरपुर)
(11) **श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-**पन्ना)
(12) **श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-**सिवनी)
(13) **श्री देवेन्द्र पटेल (जिला-**रायसेन)
(14) **श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-**सीहोर)
(15) **श्री राजन मण्डलोई (जिला-**बड़वानी)
(16) **श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-**झाबुआ)
(17) **श्री उमंग सिंघार (जिला-**इंदौर)
(18) **डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-**धार)
(19) **डॉ. चिंतामणि मालवीय (जिला-**रतलाम)
(20) **श्री विपीन जैन (जिला-**मंदसौर)

21. शासकीय वक्तव्य

(1) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री** ने प्रदेश के 43 जिलों की 94 जनपद पंचायतों के लिए भवन निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा राशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में वक्तव्य दिया.
(2) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री** की अनुपस्थितिवश विभिन्न श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के नीतिगत निर्णय के संबंध में वक्तव्य नहीं दिया जा सका.
(3) **श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार** ने दिनांक 16 जुलाई, 2024 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 113 (क्रमांक 3925) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

22. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

23. पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्रीमती कृष्णा गौर, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने प्रस्ताव किया कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-द के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2025-26 के लिए पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें आठ सदस्य शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

24. वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

(अपराह्न 01:26 बजे से 3:00 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

25. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री प्रहलाद पटेल, श्रम मंत्री ने मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

26. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में लगातार कम होते भू-जल स्तर एवं परंपरागत जल संग्रहण संरचनाओं के सतत् समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति

प्रदेश में लगातार कम होते भू-जल स्तर एवं परंपरागत जल संग्रहण संरचनाओं के सतत् समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोपाल भार्गव एवं भूपेन्द्र सिंह, सदस्यगण, ने चर्चा उठाई. चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भी भाग लिया –

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. श्री भंवर सिंह शेखावत
2. श्री आशीष गोविन्द शर्मा
3. श्री हरिशंकर खटीक
4. श्री ओमकार सिंह मरकाम
5. श्री गौरव सिंह पारधी
6. श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

7. श्री दिनेश जैन बोस
8. श्री जीतेन्द्र उदय सिंह पंडया
9. श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे
10. श्री दिव्यराज सिंह
11. डॉ. चिन्तामणि मालवीय (**चर्चा अपूर्ण**)

अपराह्न 05:31बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2025 (श्रावण 8, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक 30 जुलाई, 2025